"खाता दुरूस्ती आवेदन–पत्र"

(राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

सेवा में ,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

हमीरगढ

विषयः– राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के संबंध में।

महोदय ,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम रामतपुरिया की जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 138 व 137 मे मेरा नाम मांगू पुत्र छोगा अहीर के दर्ज रिकॉर्ड है जबकि आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज मे मांगीलाल पुत्र छोगा अहीर है। राजस्व रिकॉर्ड मे भी मेरे नाम मांगीलाल पुत्र छोगा अहीर अतः उक्त दुरूस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक 06/02/2025

प्रार्थी

मांगीलाल

(.................................)

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम रामतपुरिया के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 137, 138 में प्रार्थी का नाम मांगू पुत्र छोगा अहीर दर्ज है। जबकि मुताबिक सलंग्न आधार कार्ड व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम मांगीलाल s/o छोगा अहीर है जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

पटवारी ओज्यास

भू.अ.नि. 7/3/25

पटवारी ...लाल मेघवाल

भु.अ.नि. ...

तहसील

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा०भू०राज० अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पितृ नाम दुरूस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी ओज्यास व भू.अ.नि. ... एवं प्रार्थी द्वारा सलंग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम रामतपुरिया की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की खाता संख्या 137, 138 में प्रार्थी का नाम मांगू के बजाय मांगू उर्फ मांगीलाल अहीर किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

D.No./LR/277 7-3-2025

48/25 7/3/25

7/3/2025

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

हमीरगढ

तहसीलदार

हमीरगढ

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ ग्राम रामतपुरिया जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 137, 138 में दर्ज प्रार्थी का नाम मांगू के स्थान पर मांगू उर्फ मांगीलाल संशोधन के आदेश दिये जाते है।

/25

उपखण्ड अधिकारी